

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 16 /2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक- 20 अप्रैल, 2017

सा.का.नि (अ) .- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत उल्लिखित वस्तुओं, जिनका विवरण निम्न सारणी के कॉलम(2) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के कॉलम (4) की संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट औषधिक कंपनियों के द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रमों (जोकि कालम (3) में दिए गए हैं) के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने हैं, को, जब उनका आयात भारत में हो रहा हो, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क, जो कि उन वस्तुओं पर लगाया जाना है,से पूर्णतया छूट देती है, बशर्ते कि:-

(क) इन औषधियों और दवाओं को इन विनिर्दिष्ट औषधी कंपनियों के रोगी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों को निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा हो।

(ख) ये उक्त औषधि कंपनियां क्षेत्राधिकार वाले सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को इस बात की अंडरटेकिंग देगी कि

(i) कि वे निम्नलिखित बातों का रिकार्ड रखेंगी

i. रोगी का नाम, आयु, लिंग, आवास और संपर्क का ब्यौरा;

ii. रोगी और उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो, जैसी भी स्थिति हो, के पहचान पत्र या आवास प्रमाण पत्र की प्रति;

iii. पता लगा रोग और इसके लिए विनिर्दिष्ट औषधि या दवा की मात्रा;

iv. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयातित/प्राप्त की गई तथा सेवन की गई दवा या औषधि।

(ii) इन पदार्थों का उपयोग केवल इनके विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

(ग) ये उक्त औषधि कंपनियां क्षेत्राधिकार वाले सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को इस आशय की अंडरटेकिंग देगा कि यदि उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के पूरा नहीं होने पर यदि ऐसी वस्तुओं पर मिलने वाली छूट नहीं मिली होती तो उस पर लगने वाली ड्यूटी के बराबर की राशि का भुगतान करेगा और साथ में उस पर लगने वाले ब्याज का भी भुगतान करेगा।

सारणी

क्र. सं.	दवा/औषधी का विवरण	रोगी सहायता कार्यक्रम का नाम	इन कार्यक्रमों को चलाने वाली दवा कंपनी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एक्सटान्डि (एनज़लुटामाइड)	एक्सटान्डि पेसेन्ट असिस्टेन्ट प्रोग्राम	एस्टेल्लास फार्मा इंडिया प्रा. लि.

2.	डासाटिनिब (स्प्रीसेल)	स्प्रीसेल पेसेन्ट असिस्टेन्ट प्रोग्राम	ब्रिस्टल मायर्स स्कॉब इंडिया प्रा. लि.
3.	नीवोलुमाब (ओप्टिटा)	ओएसआईएस	ब्रिस्टल मायर्स स्कॉब इंडिया प्रा. लि.
4.	हलवेन (इरिबुलिन्मेडिलेट) – मेटास्टाटिक ब्रेस्ट कैंसर, सॉफ्ट टिशु साराकोमा	होप टू हर – 2 से 3 चक्र खरीदे गए और रोग की प्रगति तक मुक्त हो गए	ईसाई फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्रा. लि.
		हेल्प – सभी चक्र गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए मुफ्त	ईसाई फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्रा. लि.
5.	ज़ोनेग्रान (ज़ोनिसामाइड) – ईपिलेप्सी के लिए	लाइवफ्री – 33% रोगियों को इलाज की अवधि बढ़ाने के लिए सहायता देना क्योंकि यह एक क्रोनिक थेरेपी है	ईसाई फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्रा. लि.
6.	इमब्रुविका	1+1 पीएपी	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
7.	जिटिगा	3+1 पीएपी	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
8.	वेल्लाड 1 एमजी	3+1 पीएपी	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
9.	वेल्लाड 3.5 एमजी	1+1 पीएपी	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
10.	काइलेक्स	1+1 पीएपी	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
11.	डेकोजन	1+1 पीएपी	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
12.	यूनडेलिस	1+1 पीएपी	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
13.	सिम्यनी	पहली खरीद पर 1 वियाल फ्री	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
14.	रीमिकेड	तीन डोज थेरेपी पर 5+4, चार डोज थेरेपी पर 6+6	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
15.	इनवेगा ऑल एसकेयू	1+1 पीएपी (रखरखाव डोजेज)	जानस्सीन इंडिया, जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लि.
16.	इमातिनिब (ग्लिवेक)	ग्लिवेक एनओए प्रोग्राम / ग्लिवेक इंटरनेशनल पीएपी	नोवार्टिस इंडिया लि.
17.	निलोटीनीब (ताशिगुना)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.
18.	रक्सोलिटिनिब (जकावी)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.
19.	एवरोलिमस (एफाइनाटर)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.
20.	सेरिटीनीब (स्पेक्सिब)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.
21.	पज़ोपैनिब (वोटरिंट)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.
22.	एलट्रोम्बोपैग (रेवोलेड)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.

23.	इंडिकटैरोल (स्कैड्रा)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.
24.	सेकुकिनमब (स्कफ़ो)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.
25.	ओमालिजुम्ब (एक्सोलियर सीएसयू)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.
26.	ररिबिजुमाब (एक्सट्रैटिक्स)	विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर	नोवार्टिस इंडिया लि.
27.	रिटूक्सीमाब	स्पर्श – दी टच	डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज लि.

[फा०सं० 332/24/2010-टीआरयू (भाग-1)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार